

9/10 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पस उपर
 बल्लस वकील उमय पस पर मनन किया
 गया। पत्रावली का अनुलोमन किया गया
 गुलाबिक राजख रिवाडि जगावडी सके
 2066-69 वाके ग्राम शकोसिंदपुरा लहसील
 बामनवास के अनुसार किवाडि भूमि आ.
 ख.न. 38 लगायत 40, 44 लगायत 46 48 से
 73, 137 लगायत 141, 144 लगायत 146 तक
 149, 195, 394 कुल किता 42 रकवा 12.30
 हेक्टर सायल। जैर सायल वजे की सह
 स्वातदारी शमी राजख रिवाडि में दर्ज है।
 जिसका मूल दावा न्यायालय में विचारधीन
 चल रहा है। अतः मूल दावे के निस्तारण तक
 उमय पस को जारिये अस्थाई निषेधज्ञा से
 पावद किया जाना न्याय उचित है।

अतः मूल दावे के निस्तारण तक उमय पस को
 जारिये अस्थाई निषेधज्ञा से पावद किया जाता
 है कि ग्राम शकोसिंदपुरा के आ.ख.न. 40, 44
 लगायत 46, 48 लगायत 73, 137 लगायत 141,
 144 लगायत 146 तक 149, 195, 394 कुल किता
 42 रकवा 12.30 हेक्टर को सह, बध. हस्तान्तरण
 आदि नहीं करे। तथा उपयोग, उपभोग में
 किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो स्वयं करे
 न किसी अन्य से करावे। पत्रावली देवल
 श्रुमार लोक बाद लकमील दफ्तर दारिकल की जावे।
 तथा मूल दावे की पत्रावली के साथ सलग्न रहे।
 यह निर्णय आज दिनांक 9-10-19 को सुले
 न्यायालय में सुनाया गया।

नेला कलक्टर
 बामनवास (जिला-सोमा)

